



राजस्थान राज—पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 16, गुरुवार, शाके 1939—अप्रैल 6, 2017

Chaitra 16, Thursday, Saka 1939—April 6, 2017

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 06, 2017

संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंरा/2017/271 :—राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा—98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162(2) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग किसी भी सरकारी कार्यालय के भवन हेतु 500 वर्ग गज तक संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा, 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से एवं 1000 वर्ग गज से अधिक भूमि का निःशुल्क आवंटन संबंधित ज़िला परिषद की पूर्वानुमति से किये जाने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद को अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार,  
शासन सचिव एवं आयुक्त।

3

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।